हुक्म या कार्यवाही

तारीख हुक्म

7/12/21

आदेश

आपत्ति कर्ता अधिवक्ता द्वारा
प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये
तथ्य आदि पर तथा पत्रावली में उपलब्ध
तथ्यों पर पत्रावली में उपलब्ध
के अवलोकन से यही प्रतीत होता है कि
प्रार्थी द्वारा पत्र में निवेदित किया है कि
प्रार्थी ने अपने दीदी जी के पुत्र के पक्ष में
वसीयत दिनांक 17.11.2021 को पंजीयन
कराया है। वसीयत के पंजीयन के समय
वसीयतकर्ता की दिमागी हालत ठीक नहीं
है। वसीयत की वैधता को चुनौती
आपत्ति पत्र के माध्यम से अधिवक्ता के
द्वारा दी गयी है। अधिवक्ता के
अधिवक्ता पत्र पेश किया।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के
आधार पर सम्बन्धित वसीयत विलेख पत्र
को रद्द करने की प्रार्थना के पत्र पत्र आदेश
पर अपने आदेश दिनांक 17.11.21
को अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत आपत्ति
पत्र पत्रावली पर लिया गया है
उक्त अधिवक्ता श्री ● दीवानी
पक्ष की ओर पत्रावली पर उपलब्ध
साक्ष्य के आधार पर